रोड स्थित राष्ट्रीय भौतिक विभाग में कार्यरत एक महिला पिछले दो वर्षों से अपने बॉस के व्यवहार से परेशान है। उसने साहस जुटाकर पुलिस की महिला अपराध शाखा में शिकायत दर्ज करानी चाही तो जवाब मिला "इसमें हम क्या कर सकते है, अदालत जाओ।" यह महिला अपने साथ काम कर रही एक दूसरी महिला को बॉस द्वारा उसका शारीरिक शोषण होने से बचा रही थी। यह बॉस दूसरी महिला को हर शाम अपने साथ चलने को मजबूर करता था। मौलाना आजाद मैडिकल कालेज के एक प्रोफेसर द्वारा जूनियर डाक्टरों के साथ लगातार बदतमीज़ी करना, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एक पदाधिकारी द्वारा अपनी महिला सहकर्मी का शोषण करना और बाद में उसे बॉस को खुश करने के लिए दबाव डालना जैसी घटनाएं हो रही है? जवाहर लाल नेहरु विश्व विद्यालय के एक प्रोफेसर द्वारा पी० एच० डी० की एक छात्रा के साथ दुर्व्यवहार करना, एक महिला सब इन्सपेक्टर द्वारा अपने बॉस के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराना, ये इन घटनाओं के संबंध में कुछ उदाहरण हैं जिन्हें मैंने आपके समक्ष रखा है।

महोदया, दिल्ली में महिला टेलीफोन आपरेटरों के साथ जो दुव्यर्वहार हो रहा था उसके संबंध में मैंने सदन में सवाल उठाया था। महोदया, यह समाज और देश के लिए गौरव की बात है कि महिलाएं भी जीवन के हरेक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हुए आगे बढ़ रही हैं। प्रशासनिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान हो रहा है। ऐसी स्थिति में अगर कार्यालयों में इनके साथ अशोभनीय व्यवहार, मानसिक या शारीरिक शोषण होता है तो यह पुरुष समाज के लिए, हमारी सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बड़े कलंक और शर्म की बात है। इस देश में महिलाओं को श्रद्धा कहा जाता है और कहते हैं कि जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता का निवास होता है। मेरा आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों से अनुरोध है कि महिलाओं के साथ हो रही इस तरह की घटनाओं को गम्भीरता के साथ लें और संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। शिकायत करने वाली महिलाओं को पूरी सुरक्षा प्रदान करें तथा देखें कि इनकी नौकरी और पदोन्नति में बाधा डालने के लिए इनकी सी० आर० को तो खराब नहीं किया जा रहा है। रात की शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था हो तथा शिकायत करने की स्थिति में पुलिस द्वारा तुरन्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वह पदाधिकारी कितना ही बड़ा क्यों न हो। साथ ही जो पुलिस पदाधिकारी ऐसी शिकायत पर कार्रवाई नहीं करता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई हो तभी महिलाओं की इज्जत तथा मान-सम्मान की सुरक्षा होगी। धन्यवाद।

श्रीमती वीणा वर्मा (मध्य प्रदेश): मैडम, मैं एक लाइन इसमें और जोड़ना चाहती हूं। माननीय भंडारी जी ने कामकाजी महिलाओं के विषय को उठाया है। कामकाजी महिलाओं के कार्य-स्थल पर असुरक्षा या उनके ऊपर जो अत्याचार होता है महिला होने के नाते से, आज तक कोई ऐसा कानून नहीं बना जिसमें यह हो कि महिलाओं को अपने कार्य-स्थल पर क्या-क्या मूल सुविधाएं काम करने वाली महिलाओं को दी जानी चाहिएं। सरकार जल्दी एक ऐसा बिल लाये जो महिलाओं को बेसिक फेसिलिटीज एंड स्ट्रक्चर फार वर्किंग वीमेन के बारे में हो। मैं मांग करती हूं कि इस तरह का सरकार एक बिल लाये। इस संबंध में मैंने एक गैर-सरकारी बिल भी सदन में प्रस्तुत किया था। मैं सरकार से मांग करती हूं कि इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए, क्योंकि दिनों-दिन कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, उनकी सुरक्षा और उनकी मूलभूत सर्विसिज के बारे में ध्यान दिया जाना चाहिए। शुक्रिया।

Confusion due to Contradictory Statements Regarding Cancellation of Oman-Indian Pipeline Project for Natural Gas

PROF. RAM KAPSE (Maharashtra): Madam Vice-Chairman, when we were busy in Parliament, the International Conference for Energy was held in Goa last week. The delegates to the Conference from Oman declared unequivocally that the Bharat-Oman Scheme for Pipeline for providing natural gas was abandoned.

The hon. Minister for Petroleum, Shri Balu, however, told the press that the Indian Government had no knowledge of these developments. Similarly, supply of natural gas through pipelines from Iran to India, crossing the Pakistan border, is also facing difficulties due to the hostile attitude of Pakistan about the whole idea.

I demand that the Minister for Petroleum should make a categorical statement about the supply of natural gas through pipelines either from Oman or Iran, instead of raising fond hopes in the matter.

Thank you.

Need to Transfer the Office of Naptha-Jhakri Hydel Power Project From Delhi to Shimla

श्री महेश्वर सिंह (हिमाचल प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से और आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि जब दस सितम्बर, 96 को इस माननीय सदन में ऊर्जा मंत्रालय पर चर्चा हुई थी तो मैंने चर्चा में भाग लेते हुए एक बात कही थी कि हिमाचल में स्थित नापता-झाकड़ी जल विद्युत परियोजना के कार्य में तीव्रता लाने की दृष्टि से एनजेपीसी की स्थापना की गई थी। यह स्थापना 1988 में की गई थी और तब से लगातार हिमाचल प्रदेश की सरकारें यह मांग करती रही हैं कि एनजेपीसी के कार्यालय का मुख्यालय शिमला में होना चाहिए न कि दिल्ली में स्थित भाई वीर सिंह मार्ग पर।

उपासभाध्यक्ष महोदया, आपको भी याद होगा कि उस समय चर्चा का जवाब देते हुये मंत्री महोदय ने कहा था कि उंहोंने 1 नवम्बर, 1995 को इस प्रकार के निर्देश दे दिये हैं और 1 नवम्बर, 1995 से लेकर भाई वीर सिंह मार्ग पर अब कोई भी एनजेपीसी का कार्यालय नहीं है, वे सब के सब शिमला जा चुके हैं, जो कि सत्य नहीं है। मैंने उस समय भी मंत्री महोदय से कहा था कि जो आप यहां कह रहे हैं, वह तथ्यों पर आधारित नहीं है तो आप कृपया छानबीन करिए। लेकिन जब वे बार-बार यह कहते रहे कि ये कार्यालय 1 नवम्बर, 1995 से जा चुके हैं तो चेयर से भी एक डायेरक्शन गई कि आप कृपया इसकी छानबीन करिये। जब कुछ नहीं हो पाया तो मैंने इस माननीय सदन में एक प्रश्न पूछा था और दिनांक 28.11.96 को आतारांकित प्रश्न का जवाब देते हुये मंत्री महोदय ने जो कहा उसको मैं कोट करना चाहूंगा "नाप्था झाकरी विद्युत निगम द्वारा अपना निगम मुख्यालय 1 नवम्बर, 1995 से दिल्ली से शिमला में स्थानांतरित कर दिया गया है। वर्तमान में एनजेपीसी का एक सम्पर्क कार्यालय दिल्ली में स्थित है जो नाप्था-झाकरी विद्युत परियोजना कार्यान्वयन से संबंधित रोजमर्रा के समन्वय संबंधी कार्यों को देखता है।" महोदया, मैं फिर यह आरोप लगाना चाहूंगा कि यह सिर्फ लायजन आफिस का कार्यालय नहीं है बल्कि पूरे का पूरा आफिस यहां है और मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे किसी भी दिन जाकर अकस्मात निरीक्षण कर लेंगे तो तथ्य उनके सामने आ जायेंगे। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि आखिर कितना किराया उस बिल्डिंग का दिया जा रहा है और ये लायजन आफिस के नाम से चेयरमैन और जो दूसरे अधिकारी एनजेपीसी के हैं, कितने दिन यहां रहते हैं और कितने दिन शिमला में रहते हैं, कितना बड़ा भवन है? मैं मंत्री महोदय से, आपके माध्यम से यह भी मांग करना चाहूंगा कि जिन अधिकारियों ने आपको गुमराह किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

Urgent need for a Railway Zone at the Bilaspur in Madhya Pradesh

श्रीमती वीणा वर्मा (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, बिलासपुर में एक नया रेलवे जोनल आफिस देने की मांग को फिर से मैं यहां उठाना चाहती हूं। मैंने करीब आठ वर्ष पूर्व इस मांग को उठाया था और तब यह वायदा किया गया था और मंत्री जी का आश्वासन था कि जब भी रेलवे जोन दिया जाएगा तो बिलासपुर को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन इस बजट वर्ष में 6 नए रेलवे जोनों की स्थापना हुई और अभी आखिरी जो जोन जबलपुर में दिया गया वह 8 दिसम्बर को दिया गया। आज मैं एक बार फिर से बिलासपुर की जो जायज मांग है, रेलवे का जोन बनाना इसकी मांग मैं इस सदन में करती हूं। अभी तक इस पर बिचार नहीं किया गया है। श्रमिक संगठनों ने जोन के लिये अब एक जनवरी से यह फैसला लिया है कि रेलवे वैगन का जो लदान बिलासपुर से होता है, उसको बन्द करेंगे। इसका असर हमारे पूरे हिंदुस्तान पर पड़ने वाला है और सबसे ज्यादा असर तो बिलासपुर या मध्य प्रदेश के जो कारखाने हैं उनको कोयला पहुंचने का पड़ेगा। इस संबंध में मुख्य मंत्री प्रदेश के द्वारा भी एक प्रतिनिधि मंडल हमारे प्रधान मंत्री जी से मिला था। हम लोग रेलवे मंत्री जी से भी मिले थे और अभी एप्रोप्रिएशन बिल आने वाला है। मैं इस सदन के द्वारा अपील करूंगा कि वह एक बार फिर से घोषणा करे कि बिलासपुर स्टेशन 100 साल पुराना है और जब 1966 में आखिर रेलवे जोन की एक घोषणा हुई थी उसके बाद अभी इस वर्ष में 6 रेलवे जोन दिये गये हैं लेकिन बिलासपुर को नहीं दिया गया,